कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन,अधिकारी, दतिया (म.प्र.)

क्रमांक : नाम. निर्दे./विसनि/2018 /2168 दतिया, दिनांक 18 .10.2018

प्रति,

पुलिस अधीक्षक
जिला दतिया
(म0प्र0)

विषयः– **विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत नाम निर्देशन प्राप्ति सम्बन्धी कार्यो हेतु पुलिस व्यवस्था।**

विषयान्तर्गत विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत दतिया जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र 20–सेवढा, 21–भाण्डेर (अजा), तथा 22–दतिया में नाम निर्देशन सम्बन्धी विभिन्न कार्यवाहियां निम्नानुसार संपादित होंगीः–

नाम निर्देशन प्राप्ति प्रारंभ	**02.11.2018 (शुक्रवार)**
नाम निर्देशन प्राप्ति की अंतिम तिथि	**09.11.2018 (शुक्रवार)**
नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा	**12.11.2018 (सोमवार)**
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि	**14.11.2018 (बुधवार)**

विधानसभा वार नामनिर्देशन निम्नानुसार प्राप्त किये जायेंगे :–

20–सेवढा	कलेक्टर न्यायालय कक्ष, नवीन कलेक्ट्रेट भवन, ग्वालियर रोड, दतिया
21–भाण्डेर (अजा)	अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष, नवीन कलेक्ट्रेट भवन, ग्वालियर रोड, दतिया
22–दतिया	अनुविभागीय अधिकारी दतिया न्यायालय कक्ष, नवीन कलेक्ट्रेट भवन, ग्वालियर रोड, दतिया

नाम निर्देशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाहियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपरोक्तानुसार **"नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय ग्वालियर रोड दतिया"** में सम्पन्न होंगी। इस संबंध में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्नानुसार कार्यवाहियां सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

1. अभ्यर्थी को सम्मिलित कर केवल 05 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत करने हेतु प्रवेश करेंगे।
2. रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर परिधि में नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले केवल अभ्यर्थी के साथ केवल 03 वाहन ही आयेंगे।
3. एक उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को नाम निर्देशन की समस्त कार्यवाहियों हेतु कानून एवं व्यवस्था का नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
4. कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य सड़क पार्किंग परिसर में आवश्यक्तानुसार पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था।
5. प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के नाम निर्देशन प्राप्ति कक्ष हेतु पृथक से पुलिस अधिकारी की नियुक्ति तथा पुलिस बल (महिला बल सहित) लगाने की कार्यवाही।
6. परिसर में आवश्यकतानुसार बैरिकेटिंग, ड्रॅाप गेट इत्यादि की व्यवस्था सम्बन्धितों को निर्देशित करना।
7. तीनों रिटर्निंग अधिकारियों के नाम निर्देशन प्राप्ति स्थल के प्रवेश द्वारों पर डीएफएमडी लगाने तथा चैकिंग की कार्यवाही।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला दतिया (म.प्र.)

पृ. क्रमांक : नाम. निर्दे./विसनि/2018/2165 दतिया, दिनांक 18.10.2018

प्रतिलिपि,

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर।
3. माननीय व्यय प्रेक्षक, विधानसभा निर्वाचन 2018 ।
4. माननीय सामान्य प्रेक्षक विधान सभा क्षेत्र 20–सेंवढ़ा, 21–भाण्डेर (अजा), 22–दतिया ।
5. माननीय पुलिस प्रेक्षक।
6. पुलिस अधीक्षक, दतिया।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रिटर्निंग आफीसर 20–सेंवढ़ा, 21–भाण्डेर (अजा), 22–दतिया की ओर पालनार्थ।
8. सहायक व्यय प्रेक्षक विधानसभा निर्वाचन 2018 विधानसभा क्षेत्र 20–सेंवढ़ा, 21–भाण्डेर (अजा), 22–दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. व्यय लेखा टीम (AT) 20–सेंवढ़ा, 21–भाण्डेर (अजा), 22–दतिया।
10. श्री विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी मतदान दल गठन विधानसभा निर्वाचन 2018 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. चुनाव सेल विधानसभा निर्वाचन 2018 पुलिस अधीक्षक कार्यालय दतिया ।
12. सहायक संचालक, जनसंपर्क, दतिया की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
13. अनिल पालीवाल, डी.आई.ओ, एन आई सी दतिया।
14. नोडल अधिकारी ....विधानसभा निर्वाचन 2018 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सम्बन्धित श्री ....की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला दतिया (म.प्र.)